

प्रधान कार्यालय,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

मानचित्रक से संगणक के
पद पर पदोन्नति सम्बन्धी
विवरण।

चयन वर्ष 2011-12

“टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर मानचित्रक से संगणक (कम्प्यूटर) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 16.12.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मानचित्रक से संगणक के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने हैं। वर्तमान में विभाग के पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे में संगणक के 73 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 62 संगणक कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल 11 पद रिक्त हैं। इन 11 रिक्त पदों में सामान्य संवर्ग के 08 पद रिक्त हैं, तथा 03 पद अनु०जनजाति के रिक्त हैं। अनुसूचित जनजाति के 03 रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन्हें रिक्त रखे गये हैं। अनुसूचित जाति के 15 पदों के विरुद्ध 15 कार्मिक कार्यरत हैं तथा कोई पद रिक्त नहीं है। इस प्रकार सामान्य संवर्ग के 08 रिक्त पदों पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने हैं।

कृपया चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के अनुपालन में क्षेत्रों में संगणकों के रिक्त पदों के सापेक्ष निम्नानुसार कार्मिकों की आवश्यकतानुसार कार्यरित में पदोन्नति/तैनाती की जानी उचित होगी:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05
01.	श्री नरेश कुमार अवरथी	नि० एव अनु० इकाई (गंगा), (यंत्रिक) हरिद्वार	निर्माण मण्डल (गंगा), हरिद्वार	स्थायी
02.	श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी	अधिसासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी (प्रतिनियुक्ति पर)	अधिसासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी (प्रतिनियुक्ति पर)	स्थायी
03.	श्री खिलानन्द धिल्लियाल	द्वि०नि० शाखा, देहरादून	के०म०शाखा, देहरादून	स्थायी
04.	श्री बाल गोविन्द पाण्डे	यंत्रिक शाखा, देहरादून	मुख्य अभियन्ता (गढ़वा), पौड़ी	जनहित
05.	श्री पीताम्बर दत्त शर्मा	नि०शा०, भीमताल (नैनीताल)	निर्माण मण्डल, पौड़ी	जनहित
06.	श्री खजान चन्द्र जोशी	द्वि०नि०शा०, अल्मोड़ा	निर्माण शाखा, देवप्रयाग	जनहित
07.	श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय	यंत्रिक शाखा, हल्द्वानी	निर्माण इकाई, पिथौरागढ़	जनहित
08.	श्री चन्द्र शेखर तिवारी	निर्माण इकाई, रामनेगर	निर्माण मण्डल, नैनीताल	जनहित

उपरोक्त जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में किया गया है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा, तथा जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्थानीय किया गया है, उन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय नहीं होगा।

उपरोक्त कार्मिकों को अपने पदोन्नत कार्यालय में दिनांक 24.12.2011 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का स्वच्छ आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

प्रमुख अभियन्ता

17/12/11

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) / प्रबन्ध निदेशक

महाप्रबन्धक (मूजल/सर्वक्षण)

17/12

“टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया कार्यालय ज्ञाप संख्या-2758/अधि0अनु0-अधिष्ठान संगणक/16 दिनांक 17.12.2011 (पताका-1) के द्वारा मानचित्रक से संगणक (कम्प्यूटर) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त कार्यालय ज्ञाप के सम्बन्ध में श्री पीताम्बर दत्त शर्मा, मानचित्रक, निर्माण शाखा, भीमताल का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2011 (पताका-2) एवं श्री चन्द्रशेखर तिवारी, मानचित्रक, निर्माण इकाई, रामनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2011 (पताका-3) आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। उक्त पत्र में सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय में संशोधन करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेख करना है कि निर्माण इकाई, रामनगर में कार्यरत श्री चन्द्रशेखर तिवारी, मानचित्रक के 2005 में सड़क दुर्घटना में दौंघे पैर के कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर होने के फलस्वरूप बड़ा ऑपरेशन हुआ है तथा उन्हें पैदल चलने तथा उतरने में तकलीफ होती है जिस कारण उन्होंने अपनी पदोन्नति उपरान्त तैनाती निर्माण इकाई, रामनगर में ही किये जाने हेतु अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, रामनगर द्वारा अपने पत्रांक-1361/अधि0-3/115 दिनांक 20.12.2011 (पताका-4) द्वारा श्री तिवारी, मानचित्रक की पदोन्नति उपरान्त तैनाती निर्माण इकाई, रामनगर में कार्यरत में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में उक्त इकाई में कार्यरत संगणक अन्धत्र सम्बद्ध होने के कारण इकाई के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त श्री पीताम्बर दत्त शर्मा, मानचित्रक ने अपने प्रार्थना पत्र में श्री तिवारी, मानचित्रक के निर्माण इकाई, रामनगर में ही सम्बद्धीकरण आदेश, संशोधित होने की दशा में अपनी तैनाती निर्माण मण्डल, पौड़ी के स्थान पर निर्माण मण्डल, नैनीताल में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा किये गये अनुरोध तथा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, रामनगर द्वारा दिये गये संस्तुति के आधार पर कार्य हित में निम्नानुसार कार्यालयों में तैनाती आदेश संशोधन किया जाना समीचीन होगा।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त पूर्व में तैनाती किये गये कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त संशोधित तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
01.	श्री पीताम्बर दत्त शर्मा	नि०शा० भीमताल, नैनीताल	निर्माण मण्डल, पौड़ी	निर्माण मण्डल, नैनीताल	स्थानीय
02.	श्री चन्द्रशेखर तिवारी,	निर्माण इकाई, रामनगर	निर्माण मण्डल, नैनीताल	निर्माण मण्डल, पौड़ी (सम्बद्ध निर्माण इकाई, रामनगर)	स्थानीय

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का आलेख भत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

मुख्य अभियन्ता (मु०)/प्रबन्ध निर्देशक

महाप्रबन्धक (मूजल एवं सर्वेक्षण)

“टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया कार्यालय ज्ञाप संख्या-2758/अधि0अनु0-अधिधान संगणक/18 दिनांक 17.12.2011 (पताका-1) के द्वारा मानचित्रक से संगणक (कम्प्यूटर) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रमांक-04 पर अंकित श्री बाल गोविन्द पाण्डे, मानचित्रक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2011 जो कि अधिशासी अभियन्ता, यंत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून ने अपने पत्रांक 4501/अ-4/198, दिनांक 21.12.2011 (पताका-2) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें श्री बाल गोविन्द पाण्डे, मानचित्रक ने पदोन्नति कार्यालय मुख्य अभियन्ता (महवाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी में अपने खराब स्वास्थ्य के कारण पदोन्नति पर जाने का इच्छुक नहीं है, का उल्लेख किया गया है तथा उनके द्वारा पदोन्नत कार्यालय में कार्यभार ग्रहण भी नहीं किया गया है, जिस कारण संगणक का 01 पद रिक्त हो गया है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रमांक-06 पर अंकित श्री खजान चन्द्र जोशी, मानचित्रक को उनके पारिवारिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 01/कैम्प-देहरादून/अधि0अनु0-अधि0 मानचित्रक, दिनांक 23.12.2010 (पताका-3) के द्वारा पदोन्नत कार्यालय निर्माण शाखा, देवप्रयाग में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 31.05.2012 तक की समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिस कारण संगणक का 01 पद आरक्षित रखा गया है।

इस प्रकार श्री बाल गोविन्द पाण्डे, मानचित्रक के पदोन्नति अस्वीकार किये जाने के कारण उक्त पद के विरुद्ध वरिष्ठता क्रम में चयनित श्री विजय सिंह नेगी, पुत्र श्री रतन सिंह नेगी की पदोन्नति उपरान्त तेनाती की जानी है।

दिनांक 16.12.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त (पताका-4) के पृष्ठ संख्या-3 'ख' के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले संगणकों के रिक्त पद के विरुद्ध निम्नानुसार पात्र मानचित्रकों को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयन हेतु संस्तुति की गयी है।

पात्रता सूची क्रमांक	क्र० सं०	कार्मिक का नाम
11	1.	श्री विजय सिंह नेगी, पुत्र श्री जतन सिंह नेगी
12	2.	श्री टी०एन० वर्मा, पुत्र श्री रामधनी वर्मा
13	3.	श्री रघुवीर सिंह पवार, पुत्र श्री जदेंद्र सिंह पवार
15	4.	श्री जोत सिंह नेगी, पुत्र श्री बादर सिंह नेगी
16	5.	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री रीवाधर
17	6.	श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.02.2012 तक निम्नानुसार संगणक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिस कारण संगणक के 03 पद रिक्त हो गये हैं। इन 03 संगणकों के रिक्त पदों को दिनांक 30.06.2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले संगणकों के रिक्त पद के विरुद्ध वरिष्ठता क्रम में चयनित मानचित्रकों के माध्यम से पदोन्नति उपरान्त पद भारित किया जाना है।

सेवानिवृत्त संगणक का विवरण :-

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1. | श्री मातबर सिंह भण्डारी | दिनांक 31.01.2012 |
| 2. | श्री हरीश चन्द्र पुरोहित | दिनांक 31.01.2012 |
| 3. | श्री राजेन्द्र प्रसाद बहुगुणा | दिनांक 29.02.2012 |


इस प्रकार श्री बाल गोविन्द पाण्डे, मानचित्रक के द्वारा पदोन्नति अस्वीकार किये जाने के कारण हुए 01 रिक्त पद तथा उपरोक्तानुसार 03 संगणकों के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप हुए 03 पदों को जोड़ते हुए कुल 04 रिक्त पदों पर दिनांक 18.12.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक में वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति हेतु चयनित निम्न मानचित्रकों की पदोन्नति उपरान्त तैनाती निम्नानुसार क्षेत्रों में संगणकों को आवश्यकतानुसार की जानी समीचीन होगी।


क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05
01	श्री विलय सिंह नेगी, पुत्र श्री जतन सिंह नेगी	अधि०अभि०, निर्माण शाखा, रुद्रप्रयाग	मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), पीछी।	जनहित
02	श्री टी०एन० वर्मा, पुत्र श्री रामधनी वर्मा	अधि०अभि०, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पीछी। (प्रतिनियुक्ति पर)	अधि०अभि०, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पीछी। (प्रतिनियुक्ति पर)	स्थानीय 31/01/12 453-100
03	श्री रघुवीर सिंह पंवार, पुत्र श्री जयेंद्र सिंह पंवार	अधि०अभि०, निर्माण शाखा, गोपेश्वर	अधि०अभि०, निर्माण मण्डल, गोपेश्वर।	स्थानीय
04	श्री जोत सिंह नेगी, पुत्र श्री बादर सिंह नेगी	अधि०अभि०, निर्माण शाखा, पीछी	अधि०अभि०, निर्माण शाखा, कोटद्वार।	जनहित

क्रमांक-01 एवं 04 पर अंकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/तैनाती जनहित में होने के कारण उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं यात्राकाल देय होगा। शेष क्रमांक-02 एवं 03 पर अंकित कार्मिक का स्थानान्तरण/तैनाती स्थानीय होने के कारण उन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।

उपरोक्त कार्मिकों को अपने पदोन्नत कार्यालय में दिनांक 31.03.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप (पताका-4) का आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।


10/3/12
मुख्य अभियन्ता (मु०)/प्रबन्ध निदेशक




महाप्रबन्धक (मूजल एवं सर्वेक्षण)
16/3


16/3

“टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया पत्रावली के पृष्ठ संख्या-5 में इंगित तालिका के क्रमांक-3 के सन्दर्भ में अवगत कराया है कि निर्माण मण्डल, गोपेश्वर में कार्यरत श्री डी०सी० स्तूडी संगणक का निर्माण इकाई, गोपेश्वर में स्थानीय स्थानान्तरण अनुमोदित न होने के कारण वर्तमान में निर्माण मण्डल गोपेश्वर में संगणक का पद भारित है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तालिका के क्रमांक-3 पर अंकित श्री रघुवीर सिंह पंवार, मानचित्रक की पदोन्नति उपरान्त तैनाती निर्माण शाखा, गोपेश्वर से निर्माण मण्डल, गोपेश्वर के स्थान पर संशोधित करते हुए निर्माण शाखा, गोपेश्वर से निर्माण इकाई, गोपेश्वर में संगणक के रिक्त पद पर की जानी समीचीन होगी। कृपया उक्त का अनुमोदन करना चाहेंगे, ताकि संशोधित कार्यालय ज्ञाप निर्गत किया जा सके।


 मुख् अगियन्ता (मुख्यालय)


 महाप्रबन्धक (मृगल/सर्वेक्षण)


“टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर कार्यालय ज्ञाप संख्या-414/अधि0अनु0-अधिष्ठान संगणक/01 दिनांक 17.03.2011 (पताका-1) के द्वारा मानचित्रक से संगणक (कम्प्यूटर) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त कार्यालय ज्ञाप में इंगित क्रमांक-01 से 04 तक सभी मानचित्रकों द्वारा पदोन्नति पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

दिनांक 16.12.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त (पताका-2) के पृष्ठ संख्या-3 'ख' के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले संगणकों के रिक्त पद के विरुद्ध निम्नानुसार पात्र मानचित्रकों को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयन हेतु संस्तुति की गयी है।

पात्रता सूची क्रमांक	क्र० सं०	कार्मिक का नाम
11	1.	श्री विजय सिंह नेगी, पुत्र श्री जतन सिंह नेगी
12	2.	श्री टी०एन० वर्मा, पुत्र श्री रामधनी वर्मा
13	3.	श्री रघुवीर सिंह पंवार, पुत्र श्री जयेंद्र सिंह पंवार
15	4.	श्री जोत सिंह नेगी, पुत्र श्री बादर सिंह नेगी
16	5.	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री रेवाधर
17	6.	श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह

इस प्रकार क्रमांक-01 से 04 पर कार्मिकों के द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शेष क्रमांक-05 एवं 06 पर अंकित क्रमशः श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री रेवाधर एवं श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह मानचित्रक पदोन्नति हेतु चयनित हैं।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.03.2012 को श्री एच०सी० पन्त, संगणक के सेवानिवृत्त होने के कारण संगणक का 01 पद रिक्त हो गया है। उक्त रिक्त पद को दिनांक 16.12.2011 को आहूत चयन समिति द्वारा वरिष्ठता क्रम-16 में श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री रेवाधर पाण्डे को चयनित किया गया है। अतः श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री रेवाधर पाण्डे मानचित्रक की पदोन्नति उपरान्त तैनाती निम्नानुसार कार्यालय में संगणक के रिक्त पद पर की जानी समीचीन होगी।

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	04	05
01.	16	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री रेवाधर पाण्डे	अधि0अभि०, यंत्रिक शाखा, अल्मोड़ा	अधि0अभि०, निर्माण शाखा, गंगोलीहाट	जनहित

उक्त कार्मिक का स्थानान्तरण/तैनाती जनहित में होने के कारण उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं यात्राकाल देय होगा।

उक्त कार्मिक को अपने पदोन्नत कार्यालय में दिनांक 31.05.2012 तक प्रत्येक दश में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

मुख्य अभियन्ता (गु०) / प्रबन्ध निर्देशक

महाप्रबन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण)

मुख्य अभियन्ता (गु०)

1. श्री एन० सी० पन्त संगणक कहां से सेवा रिहत हुए हैं?

2. और कहां-कहां संगणक के पद रिक्त हैं?

3. उक्त पदों पर सेवानिवृत्त कौन कौन हैं?

31/05/12

P.T.O.

कृपया पृष्ठ-2 पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
 निर्माण विभाग का है:

1. श्री एच. सी. एच. हांगलक, निर्माण शाखा, जंगोलीराड
 से होकर निम्न सूची है।

2. निम्नलिखित कार्यों के वर्तमान के संज्ञकों के पर
 दिए हैं:—

- (i) सौंजिक संडल, देहाड
- (ii) निर्माण संडल, देहाड
- (iii) निर्माण शाखा, घातमाली
- (iv) निर्माण एवं अनु. इकाई (जंग), इरलाशी
- (v) निर्माण इकाई, चम्पा
- (vi) निर्माण इकाई, जकरा
- (vii) निर्माण शाखा, जंगोलीराड
- (viii) निर्माण शाखा, देवप्रसाद

मुख्य अधिकारी (मुद्रांक)

11/06/12

1. श्री एच. सी. एच. हांगलक 31.03.2012 को निर्माण शाखा जंगोलीराड
 से भेजे विवर है।

2. मा. सं. देहाड, निर्माण इकाई, जंगोलीराड, निर्माण इकाई चम्पा,
 निर्माण इकाई जकरा, निर्माण शाखा जंगोलीराड व निर्माण शाखा देवप्रसाद के
 संज्ञकों के पर दिए हैं।

11/06/12

~~प्रबंध निदेशक~~
 अनुमोदन
 11/06/12

11/06/12
 महाप्रबंधक (आ.वि.)

3. इससे प्राप्ति 33 डाकान पर दिनांक 31.3.12 तक
 कार्यालय प्रकाशित करने हेतु निर्देश प्रकाशित की गयी थी। 33 डाकान पर
 मात्र दिनांक 11/06/12 को अनुमोदन (सी) द्वारा निर्माण कार्यालय प्रकाशित करने
 की दिशि दिनांक 11/06/12 प्रकाशित की गयी है। अनुमोदन
 माना जाये।

मुख्य अधिकारी (मुद्रांक)

अनुमोदन
 11/06/12

11/06/12

“टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया पत्रावली के बाँधी और टिप्पणी एवं आदेश पृष्ठ संख्या-07 एवं 08 के सन्दर्भ में दिनांक 16.12.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त (पताका-1) के पृष्ठ संख्या-3 'ख' के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले संगणकों के रिक्त पद के विरुद्ध निम्नानुसार पात्र मानचित्रकों को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयन हेतु संस्तुति की गयी है।

पात्रता सूची क्रमांक	क्र० सं०	कार्मिक का नाम
.11	1.	श्री विजय सिंह नेगी, पुत्र श्री जतन सिंह नेगी
12	2.	श्री टी०एन० वर्मा, पुत्र श्री रामधनी वर्मा
13	3.	श्री रघुवीर सिंह पवार, पुत्र श्री जयेंद्र सिंह पवार
15	4.	श्री जोत सिंह नेगी, पुत्र श्री बादर सिंह नेगी
16	5.	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री रत्नाधर
17	6.	श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह

इस प्रकार क्रमांक-01 से 05 पर अंकित कार्मिकों के पदोन्नति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं तथा क्रमांक-06 पर अंकित श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह मानचित्रक पदोन्नति हेतु चयनित हैं।

अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 2758/अधिष्ठान अनुभाग-अधिष्ठान संगणक/16, दिनांक 17.12.2011 (पताका-2) के द्वारा मानचित्रकों के पदोन्नति आदेश जारी किये गये थे। उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रमांक-06 पर अंकित श्री खजान चन्द्र पाण्डे को उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कार्यालय ज्ञाप संख्या 01/कैम्प-देहरादून/अधि०अनु०-अधि० मानचित्रक, दिनांक 23.12.2011 (पताका-3) के द्वारा पदोन्नत कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 31.05.2012 तक की समयवृद्धि प्रदान की गयी थी, किन्तु श्री खजान चन्द्र पाण्डे, मानचित्रक द्वारा पदोन्नत कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु एक माह की समयवृद्धि हेतु पुनः अनुरोध किया गया था, किन्तु उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2012 के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 835/अधिष्ठान अनुभाग-अधि० संगणक/02, दिनांक 28.05.2012 (पताका-4) के द्वारा सूचित करते हुए कार्यभार ग्रहण करने हेतु पुनः समयवृद्धि नहीं दी गयी।

अधिसासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देवप्रयाग ने अपने पत्र संख्या 1152/804/27, दिनांक 02.06.2012 (पताका-5) के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री खजान चन्द्र पाण्डे, मानचित्रक द्वारा पदोन्नति पर निर्धारित तिथि 31.05.2012 तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। श्री खजान चन्द्र पाण्डे, मानचित्रक द्वारा संगणक के पद पर निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के कारण पदोन्नति अस्वीकार कर दी गयी है, जिस कारण संगणक का 01 पद रिक्त हो गया है।


उक्त रिक्त पद को भरे जाने हेतु दिनांक 16.12.2011 को आहूत चयन समिति द्वारा वरिष्ठता क्रमांक-17 में अंकित श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह को पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है। अतः श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह, मानचित्रक की पदोन्नति उपरान्त तैनाती संगणक के रिक्त पद पर की जानी समीचीन होगी। यहाँ यह उल्लेख करना है कि श्री महावीर सिंह, मानचित्रक दुर्गम क्षेत्र निर्माण शाखा, घनसाली में कार्यरत हैं तथा निर्माण शाखा, घनसाली में संगणक का पद काफी समय से रिक्त है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार कार्यालय में पदोन्नति उपरान्त तैनाती की जानी समीचीन होगी। उक्त तैनाती स्थानीय होने के कारण निगम को कोई व्ययभार भी वहन नहीं करना होगा।


क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	04	05
01.	17	श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह	निर्माण शाखा, घनसाली	निर्माण शाखा, घनसाली	स्थानीय


उक्त कार्मिक का स्थानान्तरण/तैनाती स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं यात्राकाल देय नहीं होगा।


उक्त कार्मिक को अपने पदोन्नत कार्यालय में दिनांक 19.08.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि ये पदोन्नति के इच्छुक नहीं है। उक्त दिनांक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।


मुख्य अभियन्ता (मु०)/प्रबन्ध निदेशक


महाप्रबन्धक (मुजल एवं सर्वेक्षण)


मुख्य अभियन्ता (मु०)/प्रबन्ध निदेशक


12/6/12

“टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया पत्रावली के बॉयी ओर टिप्पणी एवं आदेश पृष्ठ संख्या-09 एवं 10 के सन्दर्भ में दिनांक 16.12.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त (पताका-1) आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या-3 'ख' के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले संगणकों के रिक्त पद के विरुद्ध निम्नानुसार पात्र मानचित्रकों को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयन हेतु संस्तुति की गयी है तथा निम्नानुसार क्रमांक - 01 से 06 तक अंकित सभी कार्मिकों के पदोन्नति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

पात्रता सूची क्रमांक	क्र० सं०	कार्मिक का नाम
11	1.	श्री विजय सिंह नेगी, पुत्र श्री जलन सिंह नेगी
12	2.	श्री टी०एन० वर्मा, पुत्र श्री रामधनी वर्मा
13	3.	श्री रघुवीर सिंह पवार, पुत्र श्री जयेंद्र सिंह पवार
15	4.	श्री जोत सिंह नेगी, पुत्र श्री बादर सिंह नेगी
16	5.	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री रेवाधर
17	6.	श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह

दिनांक 16.12.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के पृष्ठ सं०-03(ग) में सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत 08 रिक्त पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत पैनल के अन्तर्गत निम्नानुसार मानचित्रकों को उपयुक्त पाया गया एवं चयन हेतु संस्तुति की गयी है :-

पात्रता सूची क्रमांक	क्र० सं०	कार्मिक का नाम
18	1.	श्री प्रदीप कुमार वर्मा, पुत्र श्री बद्री लाल वर्मा
19	2.	श्री गणेश दत्त तिवारी, पुत्र श्री देवी दत्त

अवगत कराना है कि श्री पदम सिंह रौतेला, संगणक, निर्माण शाखा, अल्मोड़ा एवं श्री नारायण दत्त पन्त, संगणक, निर्माण इकाई, नैनीताल में कार्यरत हैं तथा इन दोनों कार्मिकों की सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2012 है। उक्त तिथि में दोनों संगणकों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण संगणक के 02 पद रिक्त हो जायेंगे।

उक्तानुसार संगणकों के 02 रिक्त पदों को भरित करने के लिए 25 प्रतिशत पैनल के अन्तर्गत चयनित श्री प्रदीप कुमार वर्मा एवं श्री गणेश दत्त तिवारी, मानचित्रकों के माध्यम से संगणक के रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति निगम हित में की जानी समीचीन होगी।

यहाँ यह उल्लेख करना है कि निर्माण मण्डल, देहरादून नोडल कार्यालय है, जिसमें संगणक का काफी समय से पद रिक्त चला आ रहा है, जिस कारण संगणक के अभाव में सूचना आदि के प्रेषण में कार्य में गतिरोध उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त निर्माण शाखा, देवप्रयाग में श्री खजान चन्द्र जोशी, मानचित्रक के द्वारा पदोन्नति फारगो करने के कारण उक्त शाखा में संगणक की तैनाती नहीं की जा सकी है, जिस कारण उक्त शाखा में भी काफी समय से संगणक के अभाव में उक्त पद के कार्य प्रभाषित हो रहे हैं। निर्माण शाखा, देवप्रयाग एक महत्वपूर्ण शाखा है, उक्त शाखा में कार्मिकों की अत्यन्त कमी है, जिसमें संगणक की तैनाती भी नितान्त आवश्यक है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार कार्मिकों की उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में संगणक के पद पर पदोन्नति कर तैनाती की जानी समीचीन होगी।

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	04	05
01.	18	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	निर्माण शाखा, अल्मोड़ा	निर्माण मण्डल, देहरादून	जनहित
02.	19	श्री गणेश दत्त तिवारी	यंत्रिक शाखा, अल्मोड़ा	निर्माण शाखा, देवप्रयाग	जनहित

उक्त कार्मिकों का स्थानान्तरण/तैनाती जनहित में होने के कारण इन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं यात्राकाल देय होगा।

उक्त कार्मिकों को अपने पदोन्नत कार्यालय में दिनांक 07.07.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। चूंकि श्री प्रदीप कुमार वर्मा एवं श्री गणेश दत्त तिवारी, मानचित्रकों को गठित चयन समिति द्वारा चयन वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत चयनित किया गया है तथा उक्त चयन दिनांक 30.06.2012 तक ही मान्य है। अतः उक्त कार्मिकों को दिनांक 30.06.2012 को सेवानिवृत्त होने वाले संगणकों के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा। उक्त कार्मिकों के पदोन्नति आदेश दिनांक 30.06.2012 को ही निर्गत किये जाने समीचीन होंगे।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का आलेख पत्रापत्नी के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

मुख्य अभियन्ता (मु०)/प्रबन्ध निदेशक

महाप्रबन्धक (सूजल एवं सर्वेक्षण)
28-7-2012
30.6.2012 को vacancy of
34 vacancies नहीं है
29/6/12

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में मानचित्रक के पद से संगणक के रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में वर्ष 2011-2012 हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट :-

उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-2(12अधि0)/2001, दिनांक 07.11.2002 (पताका-1) द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम-1976 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम-2000 की धारा-86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् लागू है।

1. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/08-2 (92 अधि0)/2002 दिनांक 12.12.2006 (पताका-2) द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में मानचित्रक संवर्ग से संगणक के रिक्त पदों पर पदोन्नति कर नियुक्ति की जानी है। वर्तमान में संगणक के वेतनमान रू0 5000-150-8000 में 73 पद स्वीकृत किये गये हैं।

2. संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 352/XXIX(1)/08 (92 अधि0)/2002 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 15.04.2008 (पताका-3) के द्वारा शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/08-2 (92 अधि0)/2002, दिनांक 12.12.2006 के प्रस्ताव-1 के क्रमांक संख्या-11 में सृजित कनिष्ठ अभियन्ता (तकनीकी) के पद का नाम पूर्वत संगणक (कम्प्यूटर) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे कार्यालय ज्ञाप संख्या 1331/अधि0 संगणक, दिनांक 22.04.2008 (पताका-4) के द्वारा जारी किया गया। विभाग के पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे में वर्तमान में संगणक के 73 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 62 संगणक कार्यरत हैं, अतः कुल 11 पद (08 पद सामान्य संवर्ग एवं 03 पद अनु0जनजाति के रिक्त हैं) रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.06.2012 तक 06 संगणक सेवानिवृत्त हो जायेंगे। इस प्रकार कुल 17 पद रिक्तियों के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों की वेतनमान रू0 5000-150-8000 में पदोन्नति कर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है।

संगणक (कम्प्यूटर) की रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	विवरण	सामान्य	अनु0जाति	अनु0जन जाति	कुल
01	स्वीकृत पद	55	15	3	73
02	कार्यरत	47	15	0	62
03	रिक्त	08	0	3	11
04	दिनांक 30.06.2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले संगणकों का विवरण	06	-	-	06
01	श्री मातवर सिंह भण्डारी (31.01.2012)				
02	श्री हरीश चन्द्र पुरोहित (31.01.2012)				
03	श्री राजेन्द्र प्रसाद बहुगुणा (29.02.2012)				
04	श्री एच0सी0 पन्त (31.03.2012)				
05	श्री पदम सिंह रौतेला (30.06.2012)				
06	श्री नारायण दत्त पन्त (30.06.2012)				
	योग (कुल रिक्त पद)	14	0	3	17

Handwritten signature and date: 14/12

विभाग में संगणक के कुल स्वीकृत 73 पदों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के 15 पदों के सापेक्ष 15 कर्मी कार्यरत हैं तथा कोई पद रिक्त नहीं है, एवं अनुसूचित जनजाति के 03 पद बनते हैं, जिसके सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन 03 पदों को रिक्त रखा गया है।

विभाग में संगणक के कुल स्वीकृत 73 पदों के विरुद्ध सामान्य संवर्ग में 55 पदों के सापेक्ष 47 कर्मी कार्यरत हैं, एवं 08 पद रिक्त हैं। चयन वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत दिनोंक 30.06.2012 तक 06 कार्मिक सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सामान्य संवर्ग में $08 + 06 =$ कुल 14 पद रिक्त हो जाते हैं। अतः सामान्य संवर्ग में 14 रिक्त पदों एवं अनु0 जनजाति के 03 रिक्त पदों के सापेक्ष कुल 17 पदों पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

3. नियुक्ति का श्रोत :-

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के संरचनात्मक ढाँचे के गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तकनीकी ड्राईंग अधिष्ठान सेवा विनियम-2008 शासनादेश संख्या 900/उन्तीस(1)/2008-(36 अधि0)/07, दिनोंक 20.01.2009 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिसे मुख्यालय के पत्रांक 442/अधि0 मानचित्रक, दिनोंक 04.02.2009 (पताका-5) के द्वारा प्रख्यापित किया जा चुका है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तकनीकी ड्राईंग अधिष्ठान सेवा विनियम-2008 के विनियम-08 के उपविनियम (2) में संगणक के पदों को कार्यरत स्थाई मानचित्रकों में से, जिन्होंने उक्त पदों पर 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर संगणक (कम्प्यूटर) के पदों पर पदोन्नति हेतु विचार किये जाने का प्राविधान है।

4. वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों की सूची :-

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तकनीकी ड्राईंग अधिष्ठान सेवा विनियम-2008 पैरा के अनुरूप मानचित्रक पद पर कार्यरत कर्मियों में से सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित के पात्र अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूचियाँ उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार की जायेगी, जिनमें निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :-

- (1) 1 से 5 रिक्तियों के लिए - रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम 5
- (2) 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़गुना किन्तु कम से कम 10

5. पदोन्नति के लिए मापदण्ड :-

सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता है।

6. चयन की प्रक्रिया :-

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तकनीकी ड्राईंग अधिष्ठान सेवा विनियम-2008 धारा-15 के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार है :-



- (1) घयन द्वारा गठित घयन समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।
- (2) घयन समिति अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिका और अन्य ऐसे सम्बन्धित अभिलेखों को जो उचित समझे जायें, के आधार पर घयन करेगी।
- (3) घयन समिति, घयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी जिसमें उनके नाम, उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कुछ अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) रहेगी। उक्त सूची आगामी घयन तक मान्य रहेगी।
- (4) यदि घयन के समय कोई अभ्यर्थी निलम्बित हो या उसके विरुद्ध कोई जाँच कार्यवाही विधाराधीन हो या अनुध्यात हो, तो घयन के सम्बन्ध में कार्यवाही राज्य कर्मचारियों के दारे में जो शासनादेश समय-समय पर जारी किये जायें के अनुसार की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार मानचित्रकों की पदोन्नतियों ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रही हैं। कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनांक 08.07.2009 (पताका-6) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले घयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली-2009" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांक संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनांक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।

7. घयन समिति :-

- | | | |
|--|---|---------|
| (1) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून | - | अध्यक्ष |
| (2) वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून | - | सदस्य |
| (3) महाप्रबन्धक (अप्रैजल/नियोजन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून | - | सदस्य |
| (4) अधीक्षण अभियन्ता, यंत्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून | - | सदस्य |
| (5) महाप्रबन्धक (मूजल/सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून | - | सदस्य |

8. पदोन्नति के लिए मापदण्ड :-

सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता है।

9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण :-

उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली-1978 के विनियम-6 में इस बात का प्राविधान है कि अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं अन्य किसी श्रेणी के अभियन्ताओं के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक-2/2001 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 (पताका-7) द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है। इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 31.08.2001 (पताका-8) के अनुसार संगणक के 73 स्वीकृत पद के सापेक्ष अनुसूचित जाति के कुल आरक्षित 15 पदों के सापेक्ष 15 पद भरे हैं तथा कोई पद रिक्त नहीं है तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग में रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के 03 पद बनते हैं जिन पर भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। अतः उक्त 03 अनुसूचित जनजाति के 03 रिक्त पदों को रिक्त रखा जा रहा है।

[Handwritten signature]

10. चयन वर्ष 2010-2011 के अन्तर्गत दिनोंक 04.12.2010 को मानचित्रकों से संगणकों के पद पर आयोजित विभागीय चयन समिति का कार्यवृत्त (पताका-9)।
11. संगणक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची (पताका-10)।
12. संगणक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के विगत 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन का विवरण (पताका-11)। गोपनीय प्रतिवेदन की प्रकृति/फोल्डर, अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
13. जॉब की स्थिति :-
संगणक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के अनुशासनिक जॉब/प्रशासनिक जॉब प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण (संलग्नक-12)।
14. मानचित्रकों की वरिष्ठता सूची (संलग्नक-13)।
15. मानचित्रकों की कार्यरत सूची (संलग्नक-14)।
16. संगणकों की कार्यरत सूची (संलग्नक-15)।
17. राज्याधीन सेवाओं में सुजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1194/का-1-2000-13/15/91, दिनोंक 19.05.2001 (संलग्नक-16)।
18. प्रधान कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 2451/अधि0अनु0-अधि0 प्र0श्रे0कर्म0/19, दिनोंक 08.11.2010 (संलग्नक-17) अधिष्ठापित कार्यालयों में पदों का विभाजन।
19. प्रधान कार्यालय, देहरादून के ज्ञाप संख्या 638/प्रबन्ध निदेशक आदेश/ दिनोंक 18.02.2009



मानचित्रक के पद से संगणक (कम्प्यूटर) के पद पर पदोन्नति हेतु मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 16/12/2011 को आहूत गठित चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि0)/2002, दिनांक 12.12.2006 (पताका-1) द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता (तकनीकी) के वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4200 (पुराना वेतनमान रू0 5000-150-8000) में 73 पद स्वीकृत किये गये हैं। संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनोदेश संख्या 352/XXIX(1)/08 (92 अधि0)/2002 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 15.04.2008 (पताका-2) के द्वारा शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2(92 अधि0)/2002, दिनांक 12.12.2006 के प्रस्तर-1 के क्रमांक संख्या-11 में सृजित कनिष्ठ अभियन्ता (तकनीकी) के पद का नाम पूर्वत संगणक (कम्प्यूटर) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विभाग के पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के सापेक्ष वर्तमान में संगणक के पदों पर 62 संगणक कार्यरत हैं, जिनमें से सामान्य संवर्ग के 47 एवं 15 अनुसूचित जाति के कर्मी कार्यरत हैं। अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मी उपलब्ध न होने के कारण 03 पद रिक्त रखे गये हैं। इस प्रकार सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत 08 रिक्त पदों एवं दिनांक 30.06.2012 तक सम्भावित 08 रिक्त होने वाले संगणकों के पद को सम्मिलित करते हुए कुल 14 रिक्त पदों पर वर्तमान में कार्यरत 3ई मानचित्रक के पद से संगणक के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 16/12/2011 को आहूत की गयी, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र संख्या 329/मु0अभि0(मु0) गो0अधि0 सामान्य/11, दिनांक 09/12/2011 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमन्त्रित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सं0 धी0सी0 गर्ग, महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण) के मुख्यालय से बाहर रहने के कारण बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया :-

1. श्री एस0पी0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम - अध्यक्ष
देहरादून।
2. श्री धी0के0 दास, वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून - अध्यक्ष
3. श्री वाई सिंह, महाप्रबन्धक (अप्रैजल/नियोजन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। - सदस्य
4. श्री देवेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, यंत्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। - सदस्य
5. श्री पी0के0 गोयल, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। - सदस्य सचिव

चयन समिति के सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया:-

1. संगणकों की वरिष्ठता/कार्यरत सूची।
2. मानचित्रकों की वरिष्ठता/कार्यरत सूची।
3. मानचित्रक से संगणक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची।
4. पात्रता क्षेत्र के समस्त मानचित्रकों के गल 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रविष्टियाँ एवं गुणांकन का सार।
5. पात्र मानचित्रकों के विरुद्ध अनुशासनिक/प्रशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।

16/12/11 16/12/11 16/12/11 16/12/11 16/12/11

6. उत्तराखण्ड पेयजल निगम, तकनीकी ड्राईंग अधिष्ठान सेवा विनियमावली-2008 के विनियम-17 के उपविनियम-02
7. राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित घयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1194/का-1-2000-13/15/91, दिनांक 19.05.2001
8. आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2/2001-53 (1)/2001, दिनांक 18.07.2001
9. पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के रोस्टर से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक-2/2001, दिनांक 31.08.2001
10. प्रधान कार्यालय के पत्र संख्या 2451/अधि0अनु0-अधि0 च0श्रे0कर्म0/19, दिनांक 08.11.2010 अधिष्ठापित कार्यालयों में पदों का विभाजन।
11. प्रधान कार्यालय, देहरादून के ज्ञाप संख्या 638/प्रबन्ध निदेशक आदेश/ दिनांक 18.02.2009

मानचित्रक से संगणक (कम्प्यूटर) के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निम्नवत् संस्तुति की गयी :-

- (क) पात्रता सूची के वरिष्ठता क्रम में सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत संगणक के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित मानचित्रकों को उपयुक्त पाते हुए घयन हेतु संस्तुति की गई। (रोस्टर रजिस्टर क्रमांक 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 एवं 82 के अनुसार) :-

पात्रता सूची क्रमांक	क्र० सं०	कार्मिक का नाम
03	1.	श्री नरेश कुमार अवस्थी, पुत्र श्री चरनदास अवस्थी
04	2.	श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी, पुत्र श्री नारायण सिंह
05	3.	श्री खिलानन्द धिल्डियाल, पुत्र श्री राम प्रसाद धिल्डियाल
06	4.	श्री बाल गोविन्द पाण्डे, पुत्र श्री बी.एन. पाण्डेय
07	5.	श्री पीतान्धर दत्त शर्मा, पुत्र श्री उमा पति शर्मा
08	6.	श्री खजान चन्द्र जोशी, पुत्र श्री राम दत्त जोशी
09	7.	श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय, पुत्र श्री जगन्नाथ पाण्डेय
10	8	श्री चन्द्र शेखर तिवारी, पुत्र श्री गोपाल दत्त

- (i) पात्रता सूची के क्रमांक-01 पर अंकित श्री अतर सिंह रावत, मानचित्रक द्वारा भविष्य में अपने पारिवारिक परिस्थितियों एवं स्वयं की अस्वस्थता के कारण अपनी पदोन्नति संगणक के पद पर न चाहने हेतु दिये गये शपथ पत्र के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, नई टिहरी के पत्रांक 3261/मानचित्रक/संगणक(806)/9, दिनांक 06.07.2009 से प्राप्त प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 162/नु0अ0(मु0) गो0अधि0 (सामान्य), दिनांक 28.10.2009 के द्वारा श्री अतर सिंह रावत, मानचित्रक की वरिष्ठता सबसे नीचे निर्धारित की गयी है। उक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए घयन समिति द्वारा श्री अतर सिंह रावत, मानचित्रक की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया।
- (ii) पात्रता सूची के क्रमांक-02 पर अंकित श्री मनोज कुमार मित्तल, मानचित्रक की शैक्षिक व अन्य वांछित अर्हताओं में अंकित हाई स्कूल के साथ आई0जी0डी0 (बाम्बे) ड्राफ्टमैन (सिविल या मैकेनिकल) की तकनीकी योग्यता के समकक्ष नहीं हैं। अतः श्री मनोज कुमार मित्तल, मानचित्रक विभाग में अनर्ह मानचित्रक हैं। अतः श्री मनोज कुमार मित्तल के अनर्ह मानचित्रक होने के कारण अनुपयुक्त पाते हुए पदोन्नति हेतु घयन नहीं किये जाने की संस्तुति की गयी।
- (iii) आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति का कोई पद रिक्त न होने के कारण किसी भी अनुसूचित जाति वर्ग के मानचित्रक का घयन नहीं किया गया। (भारित पद रोस्टर रजिस्टर क्रमांक 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66 एवं 71 के अनुसार)।

15/11/11

16/11/11

16/11/11

- (iv) अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के फलस्वरूप अनुसूचित जनजाति के 03 पद रिक्त रहे गये हैं (रोस्टर रजिस्टर क्रमांक 24, 48 एवं 72 के अनुसार)।
- (ख) दिनांक 30.08.2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले संगणकों के रिक्त पद के विरुद्ध निम्नानुसार पात्र मानचित्रकों को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया एवं चयन हेतु संस्तुति की गयी :-

पात्रता सूची क्रमांक	क्र० सं०	कार्मिक का नाम
11	1.	श्री विजय सिंह नेगी, पुत्र श्री जतन सिंह नेगी
12	2.	श्री टी०एन० वर्मा, पुत्र श्री रामधनी वर्मा
13	3.	श्री रघुवीर सिंह पंवार, पुत्र श्री जयेंद्र सिंह पंवार
15	4.	श्री जीत सिंह नेगी, पुत्र श्री बादर सिंह नेगी
16	5.	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री रीवाघर
17	6.	श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह

- (i) पात्रता सूची के क्रमांक-14 पर अंकित श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, मानचित्रक के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण अनुपयुक्त पाते हुए चयन नहीं किया गया।
- (ग) उक्त के अतिरिक्त सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत 08 रिक्त पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत पैल के अन्तर्गत निम्नानुसार मानचित्रकों को उपयुक्त पाया गया एवं चयन हेतु संस्तुति की गयी :-

पात्रता सूची क्रमांक	क्र० सं०	कार्मिक का नाम
18	1.	श्री प्रदीप कुमार वर्मा, श्री बट्टी लाल वर्मा
19	2.	श्री गणेश दत्त तिवारी, पुत्र श्री देवी दत्त

उक्त चयन वर्ष 2011-2012 (दिनांक 01.07.2011 से 30.08.2012) तक मान्य होगा।

(पी०के० गोयल)
अधिसाक्षी अभियन्ता (कार्मिक),
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

(देवेन्द्र सिंह) 16/11/11
अधीक्षण अभियन्ता
यंत्रिक मण्डल,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

(वाई० सिंह)
महाप्रबन्धक (अप्रैजल/नियोजन)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

(श्याम सिंह) 16/11/11
लेखाधिकारी,
प्रतिनिधि वित्त निदेशक
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

(एस०पी० सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु०) एवं
अध्यक्ष चयन समिति,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।



कार्यालय : 2678078
2672404

फैक्स : 0135-2672337
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 904

/ अधिष्ठान अनुभाग - अधिष्ठान संगणक / 05 दिनांक 12 / 06 / 12

// कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित मानचित्रक की पदोन्नति संगणक के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड-पै 4200 (पुराना वेतनमान रूपये 5000-150-8000) में करते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में तैनाती तत्काल प्रभाव से की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05
01.	श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह	निर्माण शाखा, घनसाली	निर्माण शाखा, घनसाली	स्थानीय

उक्त कार्मिक का स्थानान्तरण/तैनाती स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं यात्राकाल देय नहीं होगा।

उक्त कार्मिक को अपने पदोन्नत कार्यालय में दिनांक 18.06.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(एस०पी० सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पू०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मु०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता (मढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नई टिहरी।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, घनसाली।
- श्री महावीर सिंह, पुत्र श्री सत्ये सिंह कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, घनसाली।
- अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (पेयजल) सर्वदाण

"उत्तम संघर्ष-जीवन संघर्ष" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"

वैधानिक चेतावनी - उच्च स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।



उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

(20)

पत्रांक 856

/ अधिष्ठान अनुभाग - अधिष्ठान संगणक /04 दिनांक 01/06/12

// कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित मानचित्रक की पदोन्नति संगणक के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड-पे 4200 (पुराना वेतनमान रूपये 5000-150-8000) में करते हुए उनके नाम के सम्बन्ध अंकित कार्यालय में तैनाती तत्काल प्रभाव से की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05
01.	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री रेशाधर	अधि०अभि०, यंत्रिक शाखा, अल्मोड़ा	अधि०अभि०, निर्माण शाखा, ग्रंगोलीहाट	जनहित

उक्त कार्मिक का स्थानान्तरण/तैनाती जनहित में होने के कारण इन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं यात्राकाल देय होगा।

उक्त कार्मिक को अपने पदोन्नत कार्यालय में दिनांक 11.06.2012 तक प्रत्येक दश में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(एस०पी० सिंह)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पु०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मु०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता (कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, नैनीताल।
- अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पिथौरागढ़।
- अधीक्षण अभियन्ता, यंत्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गंगोलीहाट।
- अधिशाली अभियन्ता, यंत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अल्मोड़ा।
- अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (मूजल/सर्वेक्षण)

"जल संवर्धन-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"

वैधानिक सहायता - जल स्रोतों को प्रदूषित करने वाले को दण्डनीय अपराध है।



कार्यालय 2678078
2672404

फैक्स 0135-2672337
ई-मेल upswm@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 414

/ अधिष्ठान अनुभाग - अधिष्ठान संगणक / 01

दिनांक 17/03/12

// कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित मानचित्रकों की पदोन्नति संगणक के पद पर वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड-पे 4200 (पुराना वेतनमान रुपये 5000-150-8000) में करते हुए उनके नाम के सम्बन्ध अंकित कार्यालयों में तैनाती तत्काल प्रभाव से की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05
01.	श्री विजय सिंह नेगी, पुत्र श्री जतन सिंह नेगी	अधि०अभि०, निर्माण शाखा, रुद्रप्रयाग	मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), पौड़ी।	जनहित
02.	श्री टी०एन० वर्मा, पुत्र श्री रामधनी वर्मा	अधि०अभि०, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी। (प्रतिनियुक्ति पर)	---	प्रोफार्मा पदोन्नति
03.	श्री रघुवीर सिंह पवार, पुत्र श्री जयेंद्र सिंह पवार	अधि०अभि०, निर्माण शाखा, गोपेश्वर	परि० प्रबन्धक, निर्माण इकाई, गोपेश्वर।	स्थानीय
04.	श्री जोत सिंह नेगी, पुत्र श्री बादर सिंह नेगी	अधि०अभि०, निर्माण शाखा, पौड़ी	अधि०अभि०, निर्माण शाखा, कोटद्वार।	जनहित

क्रमांक-01 एवं 04 पर अंकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/तैनाती जनहित में होने के कारण उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं यात्राकाल देय होगा। शेष क्रमांक-02 एवं 03 पर अंकित कार्मिक का स्थानान्तरण/तैनाती स्थानीय होने के कारण उन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।

उपरोक्त कार्मिकों को अपने पदोन्नत कार्यालय में दिनांक 31.03.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(एस०पी० सिंह)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पु०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मु०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
- मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, पौड़ी/नैनीताल।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- अधिशाली अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी।
- समस्त अधिशाली अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (मु०/सर्वोप) 16/3/12



कार्यालय : 2678078
: 2672404

फैक्स : 0115 2672337
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

22

पत्रांक ८१०० / अधिष्ठान अनुभाग - अधिष्ठान संगणक / १० दिनांक २१/१२/११

// कार्यालय-ज्ञाप //

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-2758/अधि०अनु०-अधिष्ठान संगणक/18 दिनांक 17.12.2011 के द्वारा मानचित्रकों की पदोन्नति संगणक के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड-पे 4200 (पुराना वेतनमान रूपये 5000-150-8000) में की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित मानचित्रकों की पदोन्नति उपरान्त तैनाती उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त पूर्व में तैनाती किये गये कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त संशोधित तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
01.	श्री पीताम्बर दत्त शर्मा	नि०शा० भीमताल, नैनीताल	निर्माण मण्डल, पीडी	निर्माण मण्डल, नैनीताल	स्थानीय
02.	श्री चन्द्रशेखर तिवारी,	निर्माण इकाई, रामनगर	निर्माण मण्डल, नैनीताल	निर्माण मण्डल, पीडी (सम्बद्ध निर्माण इकाई, रामनगर)	स्थानीय

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति उपरान्त तैनाती स्थानीय होने के कारण उन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत कार्यालय में दिनांक 24.12.2011 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(एस०पी० सिंह)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पू०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मु०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, पीडी/नैनीताल।
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

20/12/11
महाप्रबन्धक (मूजल/सर्वक्षण)
20/11

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"

वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।



कार्यालय : 2678078
: 2672404

फैक्स 0135-2672337
ई-मेल upevnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

(23)

पत्रांक 2758 / अधिष्ठान अनुभाग - अधिष्ठान संगणक / 16 दिनांक 17/12/11

// कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित मानचित्रकों की पदोन्नति संगणक के पद पर वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड वेतन रु0 4200 (पुराना वेतनमान रु0 5000-150-8000) में उनके नाम के सम्बन्ध अंकित कार्यालयों में करते हुए तैनाती तत्काल प्रभाव से की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05
01.	श्री नरेश कुमार अवस्थी	नि० एवं अनु० इकाई (गंगा), (यंत्रिक) हरिद्वार	निर्माण मण्डल (गंगा), हरिद्वार	स्थानीय
02.	श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी	अधिसासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी (प्रतिनियुक्ति पर)	अधिसासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी (प्रतिनियुक्ति पर)	स्थानीय
03.	श्री खिलानन्द घिल्डियाल	डि०नि० शाखा, देहरादून	के०भ०शाखा, देहरादून	स्थानीय
04.	श्री बाल गोविन्द पाण्डे	यंत्रिक शाखा, देहरादून	मुख्य अभियन्ता (गड०), पौड़ी	जनहित
05.	श्री पीताम्बर दत्त शर्मा	नि०शा०, भीमताल (नैनीताल)	निर्माण मण्डल, पौड़ी	जनहित
06.	श्री खजान चन्द्र जोशी	डि०नि०शा०, अल्मोड़ा	निर्माण शाखा, देवप्रयाग	जनहित
07.	श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय	यंत्रिक शाखा, हल्द्वानी	निर्माण इकाई, पिथौरागढ़	जनहित
08.	श्री चन्द्र शेखर तिवारी	निर्माण इकाई, रामनगर	निर्माण मण्डल, नैनीताल	जनहित

उपरोक्त समस्त कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं यात्राकाल देय होगा।

उपरोक्त कार्मिकों को अपने पदोन्नत कार्यालय में दिनांक 24.12.2011 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(एस०पी० सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गडवाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिसासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (मुजल) सर्वेक्षण

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय, 11-मोहिनी रोड, देहरादून